बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 :– 03 / 04–भू0अ0नि0(गया)आरोप–14 / 2024...1172 पटना, दिनांक :– 02/05/2025

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, गया के पत्रांक 554 / बंदो दिनांक 07.10.2024 के द्वारा फैजान हैदर, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN12028) के विरूद्ध दिनांक 21.08.2024 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, अनुपस्थिति के संबंध में पूछे गये स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर समर्पित नहीं किए जाने एवं कई बार फोन पर संपर्क का प्रयास किए जाने के बावजूद फोन नहीं उठाये जाने संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निदेशालय पत्रांक 14558 दिनांक 12.12.2024 द्वारा 07 दिनों के अन्दर इनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि ये अपनी बिमारी एवं माँ के गिर जाने से कमर में चोट आने के कारण ये अनुपस्थित थे। साथ ही स्पष्टीकरण को स्वीकार कर शिविर कार्यालय में योगदान की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित आरोप एवं आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया है। इनके द्वारा स्वयं एवं माँ की बिमारी के कारण अनुपस्थित रहने का उल्लेख स्पष्टीकरण में किया गया है, परन्तु बंदोबस्त कार्यालय के पत्रांक 454 दिनांक 18.09.2024 द्वारा इनसे पूछे गये स्पष्टीकरण एवं बार–बार किए गए फोन का प्रतिउत्तर नहीं देने के संबंध में कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया है। साथ ही इनके द्वारा न तो अवकाश पर जाने की अनुमति ली गयी और न ही बंदोबस्त कार्यालय के ई–मेल पर नियंत्री पदाधिकारी को अपनी स्थिति से अवगत कराया गया है। समर्पित स्पष्टीकरण में भी इनके द्वारा अपनी बिमारी का उल्लेख नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि इनके द्वारा मनमानी एवं अनुशासनहीनता जैसा कृत्य किया गया है एवं इनके अनाधिकृत अनुपस्थिति से सर्वेक्षण जैसा महत्वपूर्ण कार्य बाधित हुआ है।

उपरोक्त के आलोक में यदि इन्हें स्पष्टीकरण से मुक्त कर संविदा में बनाए रखा जाता है, तो इनके कृत्य का प्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम – 8(4)''** में वर्णित प्रावधान के तहत फैजान हैदर, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN12028) का संविदा अनुबंध रद्द किया जाता है।

30/4/25

(कमलेश कुमार सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 03 / 04—भू0अ0नि0(गया)आरोप—14 / 2024..1972.. **पटना, दिनांक** :—02/05/2025

प्रतिलिपि :— फैजान हैदर, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN12028), बंदोबस्त कार्यालय, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

30/4/25

निदेशक

भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 03 / 04—भू0अ0नि0(गया)आरोप—14 / 2024..1972.. **पटना, दिनांक** :—02/05/2025

प्रतिलिपि :— बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/4/25

निदेशक

भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 03 / 04—भू0अ0नि0(गया)आरोप—14 / 2024..1972.. **पटना, दिनांक** :—02/05/2025

प्रतिलिपि :— संबंधित प्रोग्रामर, भू—अभिलेख एवं परिमाप को निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

30/4/25

निदेशक

भू—अभिलेख एवं परिमाप